प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 19 जून 2008

विषय– अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं तत्संबंधी नियमावली 2007 के प्राविधानों को उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपुर्यक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 दिनांक 31 दिसम्बर, 2007 से प्रवृत्त किया गया है जो दिनांक 31 दिसम्बर, 2007 से प्रभावी हो गये है। भारत सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धार–14 की उपधारा(1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और ऐसे वनों में निवास करने वाले अन्य परम्परागत वन निवासियों के वन अधिकारों और वन भूमि पर अधिभोग की मान्यता देने और उनमें निहित करने के लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2007 बनायी गयी है, जो जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 01 जनवरी, 2008 द्वारा प्राख्यापित है।

2. उक्त अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजाति तथा वन क्षेत्रों में निवास कर रहे ऐसे अन्य परम्परागत वन निवासियों, जिन्हें उनकी पैतृक भूमि तथा आवास संबंधी जो अधिकार मिलने चाहिए थे न मिलने के कारण सदियों से व अन्याय के शिकार होते रहे है, को विभिन्न अधिकार प्रदान किये गये है। वन सम्पदा से आजीविका कमाने हेतु उन्हे लघु वन उत्पाद के संग्रहण, परिवहन एवं विपणन आदि से संबंधित अधिकार भी दिये गये है। चारागाह आदि संबंधी अधिकारों का संरक्षण भी अधिनियम द्वारा दिया गया है।

3. उक्त अधिनियम के प्राविधान के अन्तर्गत ग्राम सभा, उपखण्ड स्तरीय, जिला स्तरीय तथा राज्य स्तरीय समितियों का गठन समाज कल्याण अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–893/26.03.08–4(41)/2006 दि. 09.06.08(प्रति संलग्न) के अनुसार यथा शीघ्र किया जाये। ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभाओं का संयोजन किया जायेगा और उसके पहले अधिवेशन में वह अपने सदस्यों में से कम से कम 10 किन्तु 15 से अनधिक व्यकित्यों को वन अधिकार समिति के सदस्यों के रूप मे निर्वाचित करेगी, जिसमें कम से कम एक तिहाई सदस्य अनुसूचित जनजातियों के होगें परन्तु ऐसे सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई सदस्य महिलायें होंगी। ग्राम सभाओं के कृत्य उक्त नियमावली के नियम 3 व 4 में विस्तृत रूप से वर्णित है तथा वन अधिकार समिति के कृत्य नियम 11 व 12 में उल्लिखित है। ग्राम सभा द्वारा दावों की मांग कम से कम 2 साक्ष्य सहित तीन माह भीतर मांगे जायेगें। आवश्यकतानुसार सह अवधि लिखित कारणों से विस्तारित की जा सकेगी। वन अधिकार समिति विभिन्न दावों का परीक्षण करके अपनी संस्तुति/findings ग्राम सभा को विचारार्थ प्रेषित करेगी। ग्राम सभा व्यक्ति या समुदाय के संबंध में वन अधिकारों की प्रकृति और सीमा का निर्धारण कराने वाले स्थानीय इकाई

होगी जो विभिन्न दावों को प्राप्त करने, उन्हें सुनने तथा वन अधिकारों की एक सूची तैयार करने के कार्य के साथ ही वन अधिकार संबंधी दावों पर एक संकल्प पारित कर उसे अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये उपबंधों के अनुसार उपखण्ड स्तरीय समिति को भेजने का कार्य करेगी।

4. जनपद स्तर पर ग्राम सभाओं द्वारा वन अधिकार समितियों का गठन दिनांक 30 जून, 2008 तक अवश्य पूर्ण करा लिये जायें

5. अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2007 के नियम–5 में उपखण्ड स्तरीय समिति के गठन से संबंधित प्रक्रिया निर्धारित की गई है तथा नियम–5(घ) में यह व्यवस्था है कि उपखण्ड स्तरीय समिति में जनजातीय कल्याण विभाग का भारसाधक अधिकारी (Officer in-charge) या जहां ऐसा अधिकारी उपलब्ध नही है वहा जनजातीय कार्य का भारसाधक अधिकारी को सदस्य सचिव के रूप में नामित किया गया है। उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा उसके कार्य क्षेत्र में आने वाले संबंधित ग्राम सभाओं से प्राप्त सभी संकल्पों को समेकित करते हुए आवश्यक जांच के पश्चात उपखण्ड अधिकारी (उपजिलाधिकारी) के माध्यम से जिला स्तरीय समिति को भेजा जायेगा। ग्राम सभा के संकल्पों से प्रभावित व्यक्ति की याचिकाओं को उक्त समिति द्वारा सुना जायेगा।

6. अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2007 के नियम 7 व 8 में जिला स्तरीय समिति का गठन एवं उसके कृत्य का उल्लेख है। जिला स्तरीय समिति द्वारा उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा तैयार किये गये वन अधिकारों के दावों तथा अभिलेखों पर अन्तिम रूप से विचार करना तथा उन्हें अनुमोदित करना है। साथ ही जिला स्तरीय समिति, उपखण्ड स्तरीय समिति के आदेशों से प्रभावित व्यक्तियों की याचिकायें भी सुनेगी तथा अन्तर्गजनपदीय दावों के संबंध में अन्य जनपदों से समन्वय भी स्थापित किया जायेगा। जनपद स्तर पर जिला स्तरीय समिति तथा उपखण्ड स्तरीय समितियों का गठन दि 30 जून, 08 तक अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।

7.1 शासनादेश संख्या–70 भा0स0/26–3–2008, दिनांक 25–3–2008 द्वारा निदेशक जनजाति विकास, उ0प्र0 को उक्त अधिनियम व नियमावली के प्राविधानों के क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी नामित किया गया है, जो उक्त अधिनियम के प्राविधानों/नियम को प्रदेश में लागू करने की प्रगति से समय–समय पर शासन को सूचना प्रेषित किये जाने की व्यवस्था करेगें।

7.2 इसी प्रकार जिला स्तर पर जिलाधिकारी व उपखण्ड स्तर पर उपजिलाधिकारी अधिनियम व नियमावली के प्राविधानों को लागू करने हेतु नोडल अधिकारी होगें।

8. उक्त समितियों के गठन के पश्चात उक्त अधिनियम/नियम के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु ग्राम स्तर, तहसील स्तर एवं जिला स्तर पर क्रमशः ग्राम प्रधान, उपजिलाधिकारी एवं जिलाधिकारी संगोष्ठियां आयोजित कराते हुये दिनांक 31 जुलाई, 2008 तक पैम्पलेट, पोस्टर आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करेगें तथा लक्षित समूह के व्यक्तियों को अधिनियम के माध्यम से प्राप्त विभिन्न अधिकारों की विस्तृत जानकारी दी जायेगी। इस कार्य में लगे राजस्व विभाग, वन विभाग, पंचायती राज विभाग, समाज कल्याण/जनजाति विकास विभाग के कार्मिकों तथा जनप्रतिनिधियों को भी अधिनियम एवं तत्संबधी नियमों की प्रतियां उपलब्ध करायी जायेगी एवं कार्मिकों को प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। उक्त कार्यवाही दिनांक 31 जुलाई, 2008 तक अवश्य पूर्ण कर लिया जाये।

9. ग्राम स्तरीय समिति प्रत्येक माह में अधिनियम के प्राविधान एवं नियमों के अनुसार प्रगति की सूचना पारित संकल्पों सहित उपखण्ड स्तरीय समिति को उपलब्ध करायेगी, जो निर्दिष्ट कार्यवाही के पश्चात उसे जिला स्तरीय समिति को उपलब्ध करायेगी।

10. जिन जनपदों में अधिनियम के प्राविधान के अन्तर्गत आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु भूमि आवंटन की कार्यवाही की जानी है, वहां के लिये यथासम्भव मा0 मंत्रीगण/अन्य जनप्रतिनिधिगण के

माध्यम से टाइटिल का वितरण सुनिश्चित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त वन ग्रामों में बदलने की प्रक्रिया भी प्रारम्भ कर दी जाय।

11. अधिनियम एवं नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत हुई प्रगति की सूचना नियत प्रारूप पर जिलाधिकारियों द्वारा प्रत्येक माह की 15 तारिख तक नोडल अधिकारी/निदेशक जनजाति विकास, उ0प्र0 तथा समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। भारत सरकार द्वारा Online रिपोर्टिग की व्यवस्था की जा रही है। तब तक कृपया संलग्न प्रारूप पर सूचना भेजना सुनिश्चित करें।

12. प्रदेश में वन क्षेत्र की सूचना, उसमें निवासरत जनजातियों एवं अन्य वन निवासी की जनसंख्यावार विवरण वन विभाग द्वारा पृथक से उपलब्ध कराये जायेगें। पूर्व में 19 जनपदों के जिलाधिकारियों, जहां अनुसूचित जनजातियां निवासरत है, को उक्त अधिनियम के प्रचार–प्रसार हेतु निदेशक जनजाति विकास उ0प्र0 द्वारा निर्देशित किया गया था। इसके अतिरिक्त अन्य जनपदों के जिलाधिकारी भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं तत्संबंधी नियमावली 2007 का व्यापक प्रचार–प्रसार करते हुये वन विभाग से सूचना प्राप्त करके वन क्षेत्र के अन्य वन निवासियों का चिन्हीकरण कराकर सूचना निदेशक जनजाति विकास उ0प्र0 व समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध करायेंगें।

इस शासनादेश के समस्त निर्देश उक्त अधिनियम एवं तत्संबंधी नियमावली के प्राविधानों के क्रियान्वयन हेतु मात्र मार्गदर्शी सिद्धान्त के रूप में है। ग्राम स्तर, उपखण्ड स्तर तथा जनपद स्तर पर गठित विभिन्न समितियों द्वारा अधिनियम एवं तत्संबंधी नियमावली की व्यवस्था के अनुरूप सौंपे गये कार्य एवं दायित्वों का पूर्ण निवर्हन किया जायेगा।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव।

संख्या–2144(1)/26–3–2008–तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल महोदय।

2– प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।

3– मा. मंत्रीगण, राज्य मंत्रीगणों के निजी सचिवों को मा. मंत्री जी/राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

4– सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

5– सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

6– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

7– प्रमुख सचिव, वन विभाग को इस आशय से कि समितियों के गठन हेतु वन विभाग के अधिकारियों को नामित करने का कष्ट करें। साथ ही इस शासनादेश के प्रस्तर 12 अनुसार प्रदेश में वन क्षेत्र की सूचना, उसमें निवासरत जनजातियों एवं अन्य वन निवासी की जनसंख्यावार विवरण जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अधिनियम व नियमावली के क्रियान्वयन हेतु वन विभाग के अधिकारियों की सक्रियता सहभागिता सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

8– प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग को इस आशय से ग्राम सभाओं की बैठके नियमावली की व्यवस्था अनुसार कराकर वन अधिकार समितियों का गठन तथा दावें आमंत्रित कराने की कार्यवाही

सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। साथ ही समितियों के गठन हेतु पंचायती राज संस्थाओं को समुचित निर्देश देने का कष्ट करें

9– प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग को इस आशय से कि सभी प्रकार के वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में अधिनियम/नियमावली की व्यवस्थानुसार परिवर्तित किये जाने की कार्यवाही यथाशीघ्र सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

10– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0शासन।

11– प्रमुख महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद।

12– समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

13– निदेशक, सूचना को सभी समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।

14– निदेशक, समाज कल्याण विभाग/जनजाति विकास उ.प्र. लखनऊ।

15– प्रदेश के सभी स्वायतशासी संस्थाओं।

16– समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत।

17 सचिव, अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

18 समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/परियोजना अधिकारी, जनजातीय विकास, उ0प्र0।

19 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अविनाश कु0 श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।